

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश पत्रक

(देखें अमिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

सन्

केस का प्रकार - T.A Misc case no. 24 / 2017 - 18

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ												
	आवेदक/आवेदिका <u>राजीव रंजन प्रधान</u> पिता/पति <u>श्री २११ प्रधान</u> अनुसूची जनजाति/उपजाति <u>प्रधान</u> चक्रधरपुर, थाना-<u>चक्रधरपुर राजस्व</u> थाना-चक्रधरपुर, अंचल चक्रधरपुर, जिला-<u>प०</u> <u>सिंहभूम ने क्रेता २</u> <u>चक्रधरपुर प्रधान</u> पिता-<u>श्री २११ प्रधान</u> अनुसूची जनजाति/उपजाति <u>प्रधान</u> के अन्तर्गत ग्राम-<u>सोडा</u> थाना-चक्रधरपुर/राजस्व थाना-<u>चक्रधरपुर</u>, अंचल-<u>सोडा</u> जिला-<u>प०</u> सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तान्तरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोमिजो "ए" के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है। जमीन का विवरण है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>छोटानागपुर</u></td><td><u>१५४</u></td><td><u>सोडा</u></td><td><u>४५</u></td><td><u>३८३</u></td><td><u>१३३</u></td></tr> </tbody> </table> आवेदक को <u>रूपो नी</u> आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकबा <u>१५४</u> का कुल कीमत <u>५००००</u> रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोमिजो "ए" के अन्तर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मन्तव्य सहित दिनांक <u>२५/५/१७</u> तक मांग करें। अमिलेख दिनांक <u>२५/५/१७</u> को उपस्थित करें। लेखापित एवं संशोधित। <u>२५/५/१७</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। <u>२५/५/१७</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	<u>छोटानागपुर</u>	<u>१५४</u>	<u>सोडा</u>	<u>४५</u>	<u>३८३</u>	<u>१३३</u>	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा									
<u>छोटानागपुर</u>	<u>१५४</u>	<u>सोडा</u>	<u>४५</u>	<u>३८३</u>	<u>१३३</u>									

30.1.18

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

Deva
10-1-18

भूमि सुधार उप समाहर्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।